U;k;ky; Hkk iicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo
vihy ikf/kdkjh chdkuj
Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 01@2021

1. शीशराम पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
2. भींवाराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
3. भगवती पत्नी पहाड़सिंह जाति जाट निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
4. छीपचंद पुत्र पहाड़सिंह जाति जाट निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
5. महावीर पुत्र पहाड़सिंह जाति जाट निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
6. सुशीला पत्नी स्व0 रामसिंह जाति जाट निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
7. योगेश पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
8. ओमप्रकाश पुत्र रामसिहं जाति जाट निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
9. रूपचंद पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

vihykFkhZx.k

cuke

1. सुरजभान पुत्र गणपत जाति जाट निवासी वार्ड सं0 25 मोहल्ला रामबास कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
2. श्रीराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी वार्ड सं0 25 मोहल्ला रामबास कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:03:00 IST
Reason: SelfAttested

3. महेन्द्रकुमार पुत्र गणपत जाति जाट निवासी वार्ड सं0 25 मोहल्ला रामबास कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

4. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार राजगढ जिला चूरू ।

jLikM.Vl

5.पवन पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

6.कविता पुत्री श्रवण जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

7.राजबाला पुत्री श्रवण जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

xk.k jLikM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री देबुसिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चन्द्रभान् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

U;k;ky; lgk;d dyDVj jktx< d fu.k; o fMØh fnukd 23-12-2020 d fo:} vihy

vUrxr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः–18.10.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील सहायक कलक्टर राजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2020 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 52 तादादी 5.56 हैक्टयर, ख0न0 53 तादादी 2.82 हैक्टयर, ख0न0283/94 तादादी 1.0482 हैक्टयर, ख0न0 285/149 तादादी 2.2525 हैक्टयर कुल तादादी 11.6807 हैक्टयर रोही ग्राम लुदी खुबा तहसील राजगढ जिला चूरू व ख0न0 121 तादादी 5.10 हैक्टयर रोही लुटाणा सदासुख राजगढ जिला चूरू में स्थित है के संबंध में निर्णय व डिक्री जारी की है जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि ख0न0 52 तादादी 5.56 हैक्टयर, ख0न0 53 तादादी 2.82 हैक्टयर, ख0न0283/94 तादादी 1.0482 हैक्टयर, ख0न0 285/149 तादादी 2.2525 हैक्टयर कुल तादादी 11.6807 हैक्टयर रोही ग्राम लुदी खुबा तहसील राजगढ जिला चूरू व ख0न0 121 तादादी 5.10 हैक्टयर रोही लुटाणा सदासुख राजगढ जिला चूरू में स्थित है यही विवादित कृषि भूमि है वास्ते मुलाहिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Khatradi
Date: 2022.05.06 17:03:00 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 व 2072 से 2075 संलग्न वाद की थी अब विभाजन के बाद विवादित ख0न0 283/94 तादादी 1.0482 हैक्टयर, ख0न0 285/149 तादादी 2.2525 हैक्टयर कुल तादादी 3.3007 हैक्टयर रोही लुदी खुबा तहसील राजगढ जिला चूरू में स्थित वादीगण/प्रत्यर्थीगण के हिस्से में है शेष घटिया कृषि भूमि प्रतिवादीगण/अपीलार्थी के नये ख0न0 करते हुए क्रमशः ख0न0 265/121, 266/121, 264/121 रोही लुटाणा सदासुख व ख0न0 53, 341/52, 342/52 रौी लुदी खुबा तहसील राजगढ जिला चूरू के हिस्से में की गयी है । ख0न0283/94 तादादी 1.0482 हैक्टयर, ख0न0 285/149 तादादी 2. 2525 हैक्टयर तादादी 3.3007 हैक्टयर रोही ग्राम लुदी खुबा में से एन.एच 52 फतेहपुर से भटिण्डा हाई वे निकल गई है इसलिये उक्त कृषि भूमि विवादित है । वादगत कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सखातेदार व बराबर हिस्से के हिस्सेदार होने के कारण सभी खसराजात की कृषि भूमि पर काबिज काश्तकार है व सभी मौके पर बराबर 1/5 हिस्सो में तारबंदी कर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.1.2019 को मुल सामिल पत्रावली विभाजन प्रस्ताव में निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2018 की पालना में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 में दिये गये सिद्वांतो की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था जो उचित व सही था । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की और कोई गौर न फरमाते हुए विधि विरूद्व निर्णय व डिक्री पारित की है । अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.20 में निर्णय का कोई आधार भी पेश नही किया है जो स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नही आता है । वाद में प्रतिवादी सं0 6 श्रवण पुत्री पहाड़सिंह की मृत्यु दोराने वाद हो चुकी थी लेकिन विभाजन प्रस्ताव पेश किये जाने से पुर्व श्रीमती श्रवण की कायम मुकाम पत्रावली पर नही लिये गये ओर ना ही श्रवण के वारिसान को नोटिस पेश किये गये । इसलिय मृतक के विरूद्व कानूनन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित नही है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 283/94 तादादी 1.0482 हैक्टयर, ख0न0 285/149 तादादी 2.2525 हैक्टयर रोही ग्राम लुदी खुबा जो एनएच 52 फतेहपुर से भटिण्डा पर स्थित है जिसका भूमि आवंटि मुआवजा भी सभी सह खातेदारों को बहिब मिला है । इसलिये विभाजन भी उक्त कृषि भूमि का बराबर बराबर 1/5 हिस्सा होना चाहिये था । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री के अनुसार रेस्पो0/वादी के हिस्से में उपजाउ व अच्छी जमीन दी गयी है व अपीलांट/प्रतिवादी को अनुपजाउ व घटिया किश्म की जमीन छोड़ी गयी है । विभाजन प्रस्ताव के अनुसार भी रेस्पो0/वादीगणो द्वारा दिनांक [illegible].2021 नामान्तरकरण दर्ज कर तहसीलदार राजगढ ने दिनांक 10.02.2021 को नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया था वो मौके पर उपस्थित न होकर स्वयं बैठकर ही तैयार करवाया गया है क्यों कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय तहसीलदार राजगढ पटवारी गिरदावर व सभी पक्षकारान का मौके पर उपस्थित होना आवश्यक होता है किन्तु अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:03:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया । अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2020 को खारिज किया जावे ।

3. रेस्पो0पक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को नकारते हुऐ अपनी लिखित बहस में कथन किया कि विवादित ख0न0 283/94 तादादी 1.0482 हैक्टयर, ख0न0 285/149 तादादी 2.2525 हैक्टयर कुल तादादी 3.3007 हैक्टयर रोही लुदी खुबा तहसील राजगढ जिला चूरू में स्थित है में रेस्पो0/वादी द्वारा हक हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया जिसमें समस्त खातेदारान की विधिवत तामिल करवाई गयी अपीलांट सहित किसी भी पक्षकार ने वाद पत्र के खंडन में जवाब दावा पेश नही किया और ना ही जवाब दावा पेश करने का समय चाहा गया । अपीलांट/वादी के द्वारा वादपत के खंडन पेश नही होने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 8 नियम 10 सीपीसी के प्रावधारों के अनुसार रेस्पो0/वादी सं0 1 ता 3 का वाद विभाजन के अनुतोष के लिये मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश के द्वारा प्राथमिक तौर पर डिक्री कर दिया तत्पश्चात भी अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति अधिनस्थ न्यायालय में पेश नही की जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री अपीलांट/वादी के विरूद्व अतिंम हो गयी अब अपीलांट/वादी को अतिंम डिक्री के खिलाफ कोई आपत्ति उठाने का अधिकार नही है । इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीएनजे (एससी)2003(1) पेज 34, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में 2018(3)डीएनजे (राज) पेज 1136 व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की डीबी में 2020 डीएनजे (रेवेन्यु)पेज 475 में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है नजीरे पेश की । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि की जमाबंदी के अनुसार वादगत कृषि भूमि कि किश्म समस्त भूमि की किश्म समान है जिस कारण अपीलांट/वादी के हिस्से घटिया किश्म की भूमि रखे जाने का प्रश्न ही नही उठता । रेस्पो0/वादी द्वारा अपना विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन के अनुतोष के लिये पेश किया था । अपीलांट/प्रतिवादी एवं रेस्पोडेन्टान/वादी 1ता 3 व उनके पूर्वज हक हिस्सा व कब्जा काश्त में चले आ रही भूमि पर सखातेदारों के लिखित पारिवारिक समझोता 2014 स्वीकार करते हुऐ लिखित समझोते के अनुसार कब्जा काश्त करते चले आ रहे थे । वादगत भूमि के मध्य मेस एनएच 52 निकल जाने से यह वाद उत्पन हुआ है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व तहसीलदार व पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त की जांच करने व जांच में मौका पर कब्जा काश्त व लिखित पारिवारिक समझोता के अनुसार पाये जाने पर अपना विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया था । दिनांक 29.1.2019 को प्रस्तत विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय व डिक्री व लिखित पारिवारिक समझोते के विपरित पेश किया था जिस पर रेस्पो0/वादी ने आपत्ति पेश की थी जिस आपत्ति को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया जिसके विरूद्व अपीलांट/प्रतिवादी ने कोई अपील व निगरानी पेश नही की ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:03:00 IST
Reason: SelfAttested

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित नियम 18 से 21 में कहीं यह नही लिखा है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर कब्जे काश्तकारान को नजरअंदाज किया जाये व जोत को छोटे छोटे टुकडो में बांट दिया जाये । दोराने वाद प्रतिवादी सं0 6 श्रवण की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु से पूर्व वाद में जवाब दावा पेश नही किया गया तथा ना ही प्राथमिक व पुर्व में पारित अंतिम डिक्री की अपील पेश की और ना ही उसके वारिस इस अपील में हाजिर हुऐ है । जिससे स्पष्ट साबित है कि वाद व अपील की कार्यवाही में उनका कोई हित नही है । इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की नजीर आरआरडी 2014 पेज 141 पेश की । अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा पूर्व में हुए लिखित पारिवारित समझोते को कुटरचित व फर्जी बताकर रेस्पो0/वादी सं0 1ता 3 के खिलाफ अपराधिक अभियोग पुलिस थाना राजगढ में दर्ज करवाया था इस अभियोग में बाद जांच प्रकरण झुठा पाये जाने के बाद अतिंम रिपोर्ट न्यायालय में पेश हो चुकी है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री व अतिंम निर्णय व डिक्री जारी की गयी है वो न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट की खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2020 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेण्ट पक्ष की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय व डिक्री से मंगवाया गया वह सभी पक्षकारों की सहमती से मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार मंगवाया गया है क्यों कि वादगत कृषि भूमि में पूर्व में ही सभी पक्षकारों के मध्य लिखित समझोता व जमाबंदी संम्वत 2073–76 गांव लूदी खूबा व सम्वत 2076–79 ग्रम लुटाणा सदासुख के अनुसार वादगत कृषि भूमि समस्त की किश्म बिरानी चतुर्थ है व लगान की दर समान है । तहसीलदार राजगढ द्वारा दोनो पक्षो को नोटिस देकर उनकी मौजुदगी में मौका निरीक्षण कर व पडोसियों से कब्जा काश्त की जांच कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखकर तैयार करवाया गया है । हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर वादी सुरजाराम पडोसी रामकुमार के हस्ताक्षर है तथा प्रतिवादी उपस्थित है तथा हस्ताक्षर करने से इंकार अंकित है । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वादगत भूमि का विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादगत भूमि का 1/5 1/5 हिस्सा भूमि के छोटे छोटे टुकडे होने व भूमि सहज से रूप से काश्त नही होने के मध्य नजर मौके पर पक्षकारों के कब्जा काश्त में चले [illegible] की भूमि ही ईकजाई रखने का प्रयास रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है जो राजस्व मण्डल के विभाजन संबंधी नियमो के तहत किया गया है। अतः यह न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की त्रुटि नही पाता है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23.12.2020 में कोई रद्दोबदल नही करना चाहता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:03:00 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अतिंम डिक्री दिनांक 23.12.2020 को यथावत रखा जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 18.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkM+h½
Hkw&izcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:03:00 IST
Reason: SelfAttested